

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- २३०७ /मी०क्ष०/३३ दिनांक, नवम्बर १८, २०१९

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग,
रेनुकूट।

विषय-

जनपद-सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर
डिवीजन), रेणुसागर को १३२ के०वी० विद्युत पारेषण लाइन हेतु
हस्तान्तरित ३८.२५९१ हे० आरक्षित वन भूमि को २५ वर्षों (दिनांक
०९.०२.२०१६ से ०८.०२.२०४१ तक) के लिए नवीनीकरण के संबंध में।
आपका पत्र संख्या १५९५/रेनुकूट/१५-२८ दिनांक १३.११.२०१९

सन्दर्भ-

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक के संबंध में बिन्दु संख्या-४ में
उल्लेख किया गया है कि " प्रकरण की मौके की जाँच क्षेत्रीय वन अधिकारी, पिपरी एवं
अनपरा तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी पिपरी से करायी गयी। जाँचोपरान्त यह पाया गया
कि प्रश्नगत ट्रान्समिशन लाइन के नीचे बौने प्रजाति के वृक्षारोपण करने हेतु कोई भी
अवनगत वन भूमि उपलब्ध नहीं है। यह तथ्य सत्य से परे है।"

अतः इस संबंध में स्वयं की जाँच टिप्पणी प्रस्तुत की जाय ताकि
प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

भवदीय


(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर